

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक—वा0क0अधि0/यु0पी0 संशोधन) / 18/18, दिनांक: : 24 : अगस्त-2018,

—:: आदेश ::—

मुख्यालय के पूर्व निर्गत आदेशांक-1723/18 दिनांक 31.07.18 द्वारा दिनांक 30.08.18 व 31.08.18 के लिए सहारनपुर पीठ के दो सदस्यीय वादों के निस्तारण हेतु अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ तथा सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—सहारनपुर (वि0) की खंड पीठ गठित की गयी थी।

अपरिहार्य कारणों से उक्त गठित खंड पीठ में संशोधन करते हुए दिनांक 30.08.18 व 31.08.18 के लिए “अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ” के स्थान पर “सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ—प्रथम इलाहाबाद” को नामित किया जाता है। खंड पीठ की शेष स्थिति यथावत् रहेगी।

सम्बन्धित अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जाए।

ह0—24.8.18

(विकार अहमद अन्सारी)

एच0ज०एस0,

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन – वा0क0अधि0/यु0पी0 संशो0 1894 /2018, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1—सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, इलाहाबाद पीठ प्रथम, इलाहाबाद
- 2—सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, सहारनपुर पीठ, सहारनपुर।
- 3—कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4—मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर/नाजिर) मुख्यालय।
- 5—सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय की आझा से,

2008

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।